उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 20/2021

अनन्ती देवी वगै० बनाम् गोवर्धन मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
14-06-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी अनन्ती देवी, पति–स्व० हरि चन्द्र महतो एवं किशोर महतो, पिता–रतन महतो, ग्राम–निमी, पो०–पाली, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 27/2016–17 गोवर्धन मुण्डा वगै0 बनाम हरि चन्द्र महतो एवं अन्य में दिनांक 18.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा निमी थाना न0 51 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न० 41 प्लॉट न० 44 रकवा 0.91 ए० मध्ये रकवा 0.10 ए0 प्लॉट न0 114 रकवा 1.17 ए० मध्ये रकवा 0.17 ए0 एवं प्लॉट न० 234 रकवा 1.06 ए० मध्ये रकवा 0.28 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा निमी थाना न0 51 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न० 41 प्लॉट न० 44 रकवा 0.91 ए० मध्ये रकवा 0.10 ए0 प्लॉट न0 114 रकवा 1.17 ए० मध्ये रकवा 0.17 ए0 एवं प्लॉट न० 234 रकवा 1.06 ए० मध्ये रकवा 0.28 ए० सर्वे खतियान बखौरी मुण्डा पिता–कुलुवा मुण्डा वगै० के नाम से रैयती खाते की भूमि दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के आधार	

पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा निमी के पंजी II के पृ०सं० 36/I पर प्रथम पक्ष के जगु महतो वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है। प्रथम पक्ष के द्वारा बतलया गया है की मौजा निमी के खाता सं० 41 का प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार को हस्तागत किया भूतपूर्व जमींदार के द्वारा नियामत अली को वर्ष 1945 में हुकुमनामा कर दिया गया है। तथा नियामत अली ने निबंधित केवाला के द्वारा जगु महतो के पक्ष में भूमि बिक्रय कर दिया गया। लेकिन द्वितीय पक्ष का कहना है रैयती भूमि को हुकुमनामा के द्वारा हस्तातंरित नही किया जा सकता है। प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अर्थात गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा निमी पंजी II के पृ०सं० 36/I पर जगु महतो वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है अर्थात गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या 27/2016-17 गोवर्धन मुण्डा वगै0 बनाम् हरिचन्द्र महतो एवं अन्य में दिनांक 18.02.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46-4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.07.09 12:12:27 +05:30
Location: 192.168.0.48

उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
14.6.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।